



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234606
CG-DL-E-29032022-234606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1393]

No. 1393]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

का.आ. 1435(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी, आई०एच०बी० लिमिटेड, कांडला गोरखपुर एल. पी. जी. पाइपलाइन प्रोजेक्ट इंदौर (म.प्र.) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : झाबुआ		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
झाबुआ	कालाखुंट	698	00	01	07
		681	00	12	02
झाबुआ	काचला	110/5	00	16	88
मेघनगर	देदला	323	00	09	21
पेटलावद	बैकल्दा	1205	00	10	18
		1199	00	29	37
		1200	00	05	39
		1195	00	03	10
		1194	00	03	60
		1497	00	20	25
		1505	00	06	16
		1504	00	02	26
		1501	00	18	93
		1509	00	03	18

[फा. सं. आर.-11025(15)/5/2020- ओ.आर-आई/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2022

S.O. 1435(E).—Whereas, It appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Indore (M.P.).

SCHEDULE

District: Jhabua		State: Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Jhabua	Kalakhunt	698	00	01	07
		681	00	12	02
Jhabua	Kachala	110/5	00	16	88
Meghnagar	Dedla	323	00	09	21
Petlawad	Bakalda	1205	00	10	18
		1199	00	29	37
		1200	00	05	39
		1195	00	03	10
		1194	00	03	60
		1497	00	20	25
		1505	00	06	16
		1504	00	02	26
		1501	00	18	93
		1509	00	03	18

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.